न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
14 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	25.02.2025	28.11.2025

जीसीएमएस नं.–21 / 2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री गिर्राज प्रसाद विजय पुत्र श्री कृष्ण गोपाल विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स विजयवर्गीय किराणा स्टोर चुंगी नाका के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 9 चुंगी नाका के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक राज.। पिनकोड–304505

2–श्री रामावतार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद प्रोपरायटर मैसर्स मोदी एण्ड कम्पनी कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक राज. निवासी केकडी रोड टोडारायसिंह जिला टोंक राज.। पिनकोड–304505

3–श्री दीपक गर्ग पुत्र श्री नौरत मल गर्ग प्रोपरायटर मैसर्स बी.एन. एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज. निवासी नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज.। पिनकोड–304804

4–श्री अक्षय प्रधान नॉमिनी मैसर्स अंकुर केम फूड लिमिटेड प्लॉट नं. 355 वार्ड नं. 12 बी, टैगोर रोड गांधीधाम कच्छ गुजरात। पिनकोड–370201

5–मैसर्स अंकुर केम फूड लिमिटेड प्लॉट नं. 355 वार्ड नं. 12 बी, टैगोर रोड गांधीधाम कच्छ गुजरात। पिनकोड–370201

6–श्री सोलंकी रमेशभाई रामजीभाई नॉमिनी मैसर्स परफैक्ट केम फूड इण्डस्ट्रीज ए / 1002, फ्रैन्डसविले लाईफस्टाईल, रेडिसन ब्लू के सामने, पंचवटी क्रॉस रोड, लॉ गार्डन, अहमदाबाद गुजरात। पिनकोड–380006 / फैक्ट्री पता–खसरा नं. 164–165, रण रोड पोस्ट खरगोदा जिला सुरेन्द्रनगर गुजरात। पिनकोड–382760

7–मैसर्स परफैक्ट केम फूड इण्डस्ट्रीज ए / 1002, फ्रैन्डसविले लाईफस्टाईल, रेडिसन ब्लू के सामने, पंचवटी क्रॉस रोड, लॉ गार्डन, अहमदाबाद गुजरात। पिनकोड–380006 / फैक्ट्री पता–खसरा नं. 164–165, रण रोड पोस्ट खरगोदा जिला सुरेन्द्रनगर गुजरात। पिनकोड–382760

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री हिम्मत सिंह शक्तावत उप0।

:–**निर्णय**–: दिनांक 28/11/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.12.2001 को समय 01:11 पी.एम. पर मैसर्स विजयवर्गीय किराणा स्टोर चुंगी नाका के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर विक्रेता की हैसियत से श्री गिर्राज प्रसाद विजय पुत्र श्री कृष्ण गोपाल अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री गिर्राज प्रसाद विजय पुत्र श्री कृष्ण गोपाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को प्रतिष्ठान का प्रोपरायटर / मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ **आयोडाईज्ड नमक अंकुर ब्राण्ड (Iodised Salt Ankur Brand)** दुकान की रैक में 1–1 किलोग्राम के 11 नग पॉली पैक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री गिर्राज प्रसाद विजय पुत्र श्री कृष्ण गोपाल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री गिर्राज प्रसाद विजय पुत्र श्री कृष्ण गोपाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में रखे **आयोडाईज्ड नमक अंकुर ब्राण्ड (Iodised Salt Ankur Brand)** जिसके बैच नम्बर 01–पीसी एवं पैकिंग की दिनांक 01/21 थी, के 1–1 किलोग्राम के 4 नग पॉली पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आयोडाईज्ड नमक अंकुर ब्राण्ड (Iodised Salt Ankur Brand)** 1–1 किलोग्राम के 4 नग पॉली पैक को कागज के गत्ते के साफ व सूखे चार डिब्बों में भरकर अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2989 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2989 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री गिर्राज प्रसाद विजय पुत्र श्री कृष्ण गोपाल विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स विजयवर्गीय किराणा स्टोर चुंगी नाका के पास जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स मोदी एण्ड कम्पनी कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक राज. का बिल पेश किया। मैसर्स मोदी एण्ड कम्पनी ने मैसर्स बी.एन. एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक का, मैसर्स बी. एन. एन्टरप्राईजेज ने बतौर वारन्टी मैसर्स अंकुर केम फूड लिमिटेड प्लॉट नं. 355 वार्ड नं. 12 बी, टैगोर रोड गांधीधाम कच्छ गुजरात का बिल प्रेषित किया। आवेदक द्वारा मैसर्स अंकुर केम फूड से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स परफैक्ट केम फूड इण्डस्ट्रीज ए/1002, फ्रेन्डसविले लाईफस्टाईल, रेडिसन ब्लू के सामने, पंचवटी क्रॉस रोड, लॉ गार्डन, अहमदाबाद गुजरात का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/51 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /1860/एक्ट/2021/1779 दिनांक 27.12.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच किये हेतु क्रय किया गया **आयोडाईज्ड नमक अंकुर ब्राण्ड (Iodised Salt Ankur**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Brand) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध प्रबंधक मैसर्स मोदी एण्ड कम्पनी ने समयावधि में धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील किया जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर को भिजवाया गया। निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट कमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए/179एफ/2022 दिनांक 17.06.2022 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री हिम्मत सिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ सभी मानकों को पूरा करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **आयोडाईज्ड नमक अंकुर ब्राण्ड (Iodised Salt Ankur Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **आयोडाईज्ड नमक अंकुर ब्राण्ड (Iodised Salt Ankur Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1ता 5 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ कय किया है, अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 6 व 7 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 6 व 7 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

माननीय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
टोंक–राज